दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

आपराधिक अपील सं. 29/2008

सुरक्षित: 29 अप्रैल, 2014
निर्णय की तिथि: 2 मई, 2014

बाबू राम ..... अपीलार्थी

द्वारा: श्री सौरभ किरपाल सह
श्री अक्षय भाटिया और श्री भारत भूषण
भाटिया, अधिवक्तागण।

बनाम

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ..... प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री मनोज ओहरी, वि.लो.अभि.।

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. मुरलीधर

<u>निर्णय</u>
02.05.2014

1. यह अपील, प्रतिदावा सं. 05/05 में विद्वान विशेष न्यायाधीश (सीबीआई) द्वारा पारित दिनांक 13 दिसंबर 2007 के निर्णय के विरुद्ध निर्देशित है, जिसमें अपीलार्थी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 ('पीसी अधिनियम') की धारा 7 और 13 (2) के साथ धारा 13 (1) (घ) के अंतर्गत दोषी ठहराया

गया था और दिनांक 14 दिसंबर 2007 के दंड के आदेश में उसे पीसी अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत अपराध के लिए 3,000 रुपये के जुर्माने के साथ एक वर्ष के कठिन कारावास ('आरआई') का दंड सुनाया गया था और व्यतिक्रम के बदले में, पीसी अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत अपराध के लिए पंद्रह दिनों के लिए साधारण कारावास ('एसआई') और 7,000 रुपये के जुर्माने के साथ दो साल के लिए कठिन कारावास, और व्यतिक्रम के बदले में, पीसी अधिनियम की धारा 13(2) सहपठित 13 (1) (घ) के अंतर्गत अपराध के लिए पंद्रह दिनों के लिए साधारण कारावास भुगतना होगा।

2. 10 जनवरी 2008 के आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने अपील के लंबित रहने के दौरान अपीलार्थी को दिए गए दंड को शर्तों के अधीन निलंबित कर दिया।

अभियोजन पक्ष का मामला

3. परिवादी राकेश (अभि.सा.-3) 176-बी, प्रजापत नगर, गुलमोहर पार्क के पास, नई दिल्ली में डेयरी व्यवसाय चला रहा था। अभि.सा.-3 के पास 25 गायें थीं जिन्हें वह अपने घर के सामने रस्सियों से बाँधता था। दिल्ली नगर निगम ('एमसीडी') के मवेशी पकड़ने वाले कर्मचारी, जिनमें अपीलार्थी बाबू राम भी शामिल था, जो एमसीडी, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली में मवेशी पकड़ने वाले के रूप में कार्य कर रहा था, सड़क पर घूम रही खुली गायों को पकड़ता था।

4. 9 दिसंबर 2004 को, अभि.सा.-3 ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ('सीबीआई') में एक शिकायत दर्ज (प्र.अभि.सा.-3/क) कराई जिसमें बयान दिया गया कि 8 दिसंबर 2004 को, जब वह मालवीय नगर गया था, तो अपीलार्थी उससे मवेशियों के तालाब पर मिला और अभि.सा.-3 को अपना डेयरी व्यवसाय सुचारू रूप से चलाने में सक्षम बनाने के लिए 5,000 रुपये की रिश्वत की माँग की। अभि.सा.-3 के अनुसार, अपीलार्थी ने उसे धमकी दी कि यदि रिश्वत नहीं दी गई, तो अभि.सा.-3 के पशुओं को ज़ब्त कर लिया जाएगा और उसका व्यवसाय बर्बाद कर दिया जाएगा। जब अभि.सा.-3 ने 5,000 रुपये की रिश्वत देने की अनिच्छा व्यक्त की, तो अपीलार्थी ने इसे घटाकर 2,500 रुपये कर दिया और उससे कहा कि वह 2,500 रुपये की राशि अगले दिन अर्थात् 9 दिसंबर 2004 को सुबह 10 बजे ग्रीन पार्क स्थित अपने कार्यालय में ले आए। जब अभि.सा.-3 ने 9 दिसंबर 2004 को ग्रीन पार्क स्थित एमसीडी कार्यालय में अपीलार्थी से मुलाकात की, तो अपीलार्थी ने रिश्वत के रूप में 2,500 रुपये की अपनी माँग दोहराई और अभि.सा.-3 को अगले दिन अर्थात् 10 दिसंबर 2004 को सुबह 10 बजे उक्त राशि लाने के लिए कहा। यह वह समय था जब अभि.सा.-3 ने सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई थी।

5. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ('डीजीएचएस'), निर्माण भवन, नई दिल्ली के कार्यालय में उच्च श्रेणी लिपिक अभि.सा.-6, ए.ए. श्रीकांत के साक्ष्य में यह बात सामने आई थी कि उसे उसके निदेशक (सतर्कता) ने श्री एन.एस. यादव,

डीएसपी (अभि.सा.-9), एसटीएफ शाखा, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली को किसी गुप्त ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने को कहा था। वह 9 दिसंबर 2004 को शाम 7 या 7.30 बजे के बीच सीबीआई कार्यालय गया और अभि.सा.-9 से मिला। रतन सिंह, यूडीसी, डीजीएचएस (अभि.सा.-5) को भी उस उद्देश्य के लिए नियुक्त किया गया था। अभि.सा.-9 ने अभि.सा.-5 और अभि.सा.-6 को अगले दिन अर्थात् 10 दिसंबर 2004 को सुबह 8 बजे आने का निर्देश दिया।

6. अपने साक्ष्य में अभि.सा.-9 ने कहा कि 9 दिसंबर 2004 को अभि.सा.-3 द्वारा सीबीआई को दी गई शिकायत उसके पास भेजी गई थी और आरोपों की पुष्टि करने के बाद उसने पाया कि अपीलार्थी की अच्छी प्रतिष्ठा नहीं है और वह रिश्वत लेने का आदी है। उसने तदनुसार श्री ओ.पी. चटवाल, डीआईजी, एसटीएफ शाखा, सीबीआई को सूचित किया और डीआईजी ने मामला दर्ज करने और जाल बिछाने का आदेश दिया। तदनुसार, 9 दिसंबर 2004 को डीआईजी के हस्ताक्षर से अपीलार्थी के विरुद्ध प्राथमिकी सं. 3(एस)/2004 दर्ज की गई। प्राथमिकी की विषय-वस्तु अभि.सा.-3 को भी पढ़कर सुनाई गई और उसने उस पर अपने हस्ताक्षर किए।

छापे से पहले की कार्यवाही

7. अभि.सा.-9 ने अपने साक्ष्य में आगे बयान दिया कि अगले दिन अर्थात् 10 दिसंबर 2004 को अभि.सा.-5 और अभि.सा.-6 दोनों सुबह सीबीआई के

कार्यालय पहुँचे। उन्हें अभि.सा.-3 से मिलवाया गया और उसकी शिकायत भी उन्हें दिखाई गई। अभि.सा.-3 ने 500-500 रुपये के पाँच सरकारी करेंसी ('जीसी') नोट पेश किए और ट्रैप से पहले की कार्यवाही में उनके नंबर नोट कर लिए गए। सोडियम कार्बोनेट के साथ फिनोलफथेलिन पाउडर के प्रभाव के बारे में एक प्रदर्शन भी दिखाया गया और जीसी नोटों को फिनोलफथेलिन पाउडर से उपचारित किया गया। दागदार जीसी नोट अभि.सा.-3 को दिए गए और उसने उन्हें अपनी शर्ट की बाईं तरफ की ऊपरी जेब में रख लिया। उसे निर्देश दिया गया कि वह दागदार पैसे अपीलार्थी को उसकी विशेष माँग पर ही दे। अभि.सा.-6 को छाया (शैडो) साक्षी के रूप में काम करने और अभि.सा.-3 और अपीलार्थी के बीच बातचीत को सुनने और उनके बीच पैसे के लेन-देन को देखने के लिए कहा गया। रिश्वत की रकम का भुगतान करने के बाद, अभि.सा.-6 को दोनों हाथों से अपना सिर खुजाकर संकेत देने का निर्देश दिया गया। ट्रैप से पहले की कार्यवाही फ़र्द हस्तांतरण (प्र.अभि.सा.-3/ख) में दर्ज की गई।

ट्रैप की कार्यवाही

8. इसके बाद, अभि.सा.-3, अभि.सा.-5, अभि.सा.-6, अभि.सा.-9 और अन्य लोगों वाले दल के सदस्य 10 दिसंबर 2004 को लगभग 9.45 बजे ग्रीन पार्क में एमसीडी कार्यालय के आसपास पहुँचे। दल के सदस्यों को एमसीडी कार्यालय के पास बिखरे हुए तरीके से तैनात किया गया था। एक डिजिटल रिकॉर्डर, जिसे चालू किया गया था, अपीलार्थी और उसके बीच बातचीत को रिकॉर्ड करने के

उद्देश्य से अभि.सा.-3 को सौंप दिया गया था। अभि.सा.-6 को रिश्वत के पैसे के लेन-देन को देखने और अपीलार्थी और अभि.सा.-3 के बीच बातचीत को सुनने के लिए एमसीडी कार्यालय में अभि.सा.-3 का पीछा करने के लिए कहा गया था। लगभग 9.55 बजे, अभि.सा.-3 और अभि.सा.-6 ग्रीन पार्क में एमसीडी कार्यालय में दाखिल हुए और कुछ मिनट बाद वापस आए और कार्यालय के सामने खड़े हो गए।

9. अभि.सा.-6 ने अपने साक्ष्य में कहा कि लगभग 11 बजे, अपीलार्थी एमसीडी कार्यालय में आया और अभि.सा.-3 ने संकेत दिया कि अपीलार्थी आ गया है। अपीलार्थी और अभि.सा.-3 दोनों एक-तरफ़ चले गए और एक-दूसरे से बात करने लगे। अभि.सा.-6 लगभग 8-10 फ़ीट की दूरी पर खड़ा था। यह बयान दिया गया है कि कुछ समय बाद अपीलार्थी ने अपने दाहिने हाथ की उँगलियों से इशारा करके अभि.सा.-3 से पैसे माँगे। अभि.सा.-3 ने अपीलार्थी को मलिन जीसी नोट दिए, जिसने उसे अपने दाहिने हाथ में लिया और उसे अपनी दाहिनी ओर की पैंट की जेब में रख लिया।

10. अभि.सा.-5 ने अपने साक्ष्य में बयान दिया कि वह अभि.सा.-3 से लगभग 10-12 फ़ीट की दूरी पर खड़ा था। अभि.सा.-5 ने बयान दिया कि "मैंने देखा कि अभियुक्त परिवादी की ओर अपनी उँगलियों से पैसे माँगने के संकेत दे रहा था और परिवादी ने अपनी शर्ट की जेब से पैसे निकालकर अभियुक्त को

2,500 रुपये दिए। बाबू राम ने अपने दाहिने हाथ से उन नोटों को स्वीकार किया और पैसे अपनी दाहिनी ओर की पैंट की जेब में रख लिए।"

11. अपने मुख्य परीक्षण में अभि.सा.-3 ने बयान दिया कि "बाबू राम ने मुझसे पैसों के बारे में बात की। बाबू राम ने मुझसे रिश्वत की रकम माँगी और मैंने उसे पाउडर लगे नोट थमा दिए, जिसे उसने अपने दाहिने हाथ से लिया और अपनी पैंट की दाहिनी जेब में रख लिया।"

12. तीनों साक्षियों ने अभि.सा.-6 द्वारा दिए गए पूर्व-निर्धारित संकेत के बारे में बताया, जिसके तुरंत बाद सीबीआई ट्रैप दल ने अपीलार्थी को घेर लिया। अभि.सा.-9 ने अपीलार्थी को अपना परिचय दिया। अभि.सा.-5 ने बताया कि एस.एस. रावत ने अपीलार्थी का एक हाथ पकड़ा और ए.के. पांडे ने दूसरा हाथ पकड़ा। इसके बाद, अपीलार्थी को डॉ. प्रदीप कुमार (अभि.सा.-8) के कार्यालय में ले जाया गया। जब अभि.सा.-9 ने अपीलार्थी से अभि.सा.-3 से 2,500 रुपये की रिश्वत लेने के बारे में पूछा, तो अपीलार्थी "चुप हो गया और हैरान हो गया।"

13. फिर, अभि.सा.-8 के कार्यालय में, निर्देश पर, अभि.सा.-5 ने अपीलार्थी की पैंट की दाहिनी ओर की जेब से 2,500 रुपये के नोट निकाले। बरामद नोटों की संख्या को फ़र्द हस्तांतरण में दर्ज संख्याओं से मिलान किया गया। इसके बाद, अपीलार्थी के दाहिने हाथ और पैंट की दाहिनी ओर की जेब को सोडियम

कार्बोनेट के घोल से धोया गया जो गुलाबी हो गया। उन्हें अलग-अलग बोतलों में सुरक्षित रखा गया और ज़ब्त करके लेबल लगाया गया।

14. अपनी गवाही में, अभि.सा.-6 ने अभि.सा.-5 के उपरोक्त कथन की पुष्टि की। उसने कहा कि दो निरीक्षकों ने अपीलार्थी को उसकी कलाई से पकड़ा और फिर उसे अभि.सा.-8 के कार्यालय के अंदर ले गए। अभि.सा.-8 भी कार्यवाही में शामिल हुआ। अभि.सा.-6 ने अभियुक्त द्वारा पहनी गई पैंट की दाहिनी जेब से मलिन जीसी नोट निकाले। बरामद जीसी नोटों का फ़र्द हस्तांतरण में उल्लिखित संख्याओं से मिलान किया गया और जीसी नोटों की संख्या समान पाई गई।

15. अभि.सा.-9 ने बयान दिया कि "डिजिटल रिकॉर्डर अभि.सा.-3 से वापस ले लिया गया और उसे मौके पर ही चलाया गया और रिकॉर्ड की गई बातचीत से रिश्वत के पैसे की माँग और स्वीकृति की पुष्टि हुई। रिकॉर्ड की गई बातचीत को डिजिटल रिकॉर्डर से दो माइक्रो ऑडियो कैसेट में अंतरित किया गया। एक माइक्रो कैसेट को मौके पर ही कपड़े के लिफाफे में सील कर दिया गया।"

गिरफ़्तारी और जाँच

16. अपीलार्थी को गिरफ़्तार किया गया और ज़ब्त की गई वस्तुओं को फ़र्द बरामदगी (प्र. अभि.सा.-3/ग) में दर्ज किया गया। अपीलार्थी की फ़र्द गिरफ़्तारी-सह-जामा तलाशी (प्र.अभि.सा.-5/क) तैयार किया गया। 11 दिसंबर 2004 को

अपीलार्थी की नमूना ध्वनि को अभि.सा.-5 और अभि.सा.-6 की मौजूदगी में एक ऑडियो कैसेट में रिकॉर्ड किया गया और फ़र्द वॉयस रिकॉर्डिंग (प्र.अभि.सा.-5/ग) तैयार किया गया।

17. केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला ('सीएफ़एसएल') की 31 दिसंबर 2004 की रिपोर्ट में अपीलार्थी के दाहिने हाथ धोने के साथ-साथ पैंट धोने की दाहिनी जेब में फिनोलफथेलिन की मौजूदगी की पुष्टि की गई। टेप पर ऑडियो रिकॉर्डिंग स्पष्ट नहीं पाई गई और इसलिए इसे प्रमाणित नहीं किया जा सका।

आरोप

18. विचारण न्यायालय के 1 जुलाई 2005 के आदेश के अनुसार, पीसी अधिनियम की धारा 7 और धारा 13 (2) के साथ पठित धारा 13 (1) (घ) के अंतर्गत अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए थे। अपीलार्थी ने स्वयं को निर्दोष बताया और विचारण की माँग की। उस समय, उसने निम्नलिखित बयान दिया:

> "5,000 रुपये की राशि चेतक वेस्पा स्कूटर के संबंध में परिवादी पर बकाया थी जिसे मैंने उसको लगभग तीन साल पहले बेचा था। शेष भुगतान के बारे में अंतिम समझौता श्री दिनेश और श्री जगत की उपस्थिति में हुआ था और उस समझौते को ध्यान में रखते हुए परिवादी मेरे पास भुगतान के लिए 2,500 रुपये की राशि लेकर आया था, जो उस पर

बकाया थे और उसने इस कारण मेरे विरुद्ध झूठा मामला दर्ज कराया"।

19. इस स्तर पर यह उल्लेख किया जाता है कि 10 दिसंबर 2007 को साक्ष्य दर्ज किए जाने और दलीलें सुनने के बाद, विद्वान विचारण न्यायाधीश ने तिथियों और कुछ तथ्यों के संबंध में कुछ दोष देखे। 10 दिसंबर 2007 को दं.प्र.सं. की धारा 216 के अंतर्गत पारित एक आदेश द्वारा अभियोजन पक्ष और अभियुक्त की सहमति से आरोप बदल दिया गया और संशोधित आरोप फिर से अभियुक्त के सामने रखा गया, जिसके लिए उसने स्वयं को दोषी नहीं बताया।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अपीलार्थी का बयान

20. अभियोजन पक्ष ने दस साक्षियों की परीक्षा की। दं.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत अपने बयान में, उसके सामने रखे गए दोषपूर्ण साक्ष्य के जवाब में, अपीलार्थी ने अन्य बातों के साथ कहा कि घटना से लगभग दो साल पहले उसने अभि.सा.-3 को 19,000 रुपये में एक स्कूटर बेचा था। अभि.सा.-3 ने 14,000 रुपये का भुगतान किया। अपीलार्थी ने विक्रय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि अभि.सा.-3 ने शेष राशि का भुगतान नहीं किया। जगत (ब.सा.-2) और दिनेश (ब.सा.-1) नामक दो व्यक्तियों ने अपीलार्थी और अभि.सा.-3 को मामला निपटाने में सहायता की, जिसके अंतर्गत अभि.सा.-3 ने अपीलार्थी को 2,500 रुपये देने पर सहमति जताई। अपीलार्थी ने दावा किया कि 9 दिसंबर 2004 को अभि.सा.-3 ने स्कूटर के लिए 2,500 रुपये का शेष भुगतान किया।

21. दं.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत अपने बयान में अपीलार्थी ने दावा किया कि उसे ट्रैप कार्यवाही के बारे में पता नहीं था। उसने कहा कि उसने अपनी पैंट की दाहिनी जेब में स्कूटर का शेष विक्रय मूल्य रखा था। प्रश्न संख्या 19 के जवाब में कि अभि.सा.-6 द्वारा संकेत दिए जाने पर, ट्रैप दल उसके पास पहुँचा था और अभि.सा.-9 ने उसे अभि.सा.-3 से 2,500 रुपये की रिश्वत राशि माँगने और स्वीकार करने के बारे में चुनौती दी, अपीलार्थी ने कहा: "मुझे सीबीआई अधिकारियों ने पकड़ लिया था। मैंने उनसे कहा कि मैंने कोई रिश्वत नहीं ली है। मैंने उन्हें यह भी बताया कि मैंने अपने स्कूटर के विक्रय मूल्य की शेष राशि ले ली है, जिसके बारे में मैंने श्री राकेश को बताया था।" उसने प्रश्न संख्या 20 के जवाब में आगे बयान दिया, "पहले तो मैं हैरान रह गया लेकिन बाद में मैंने प्रकट किया कि मैंने रिश्वत राशि नहीं माँगी और स्वीकार नहीं की।"

22. अपीलार्थी ने कहा कि वह स्वयं अभि.सा.-3 से 2,500 रुपये लेने के बाद अभि.सा.-8 के कार्यालय कक्ष में गया था। उसने इस बात से इनकार किया कि उसका दाहिना हाथ और पैंट का रंग गुलाबी हो गया था और कहा कि सीबीआई ने बरामदगी की कार्यवाही गलत ढंग से तैयार की थी। अभि.सा.-3 ने स्वीकार किया कि उसे अपनी पैंट उतारने के लिए कहा गया था; फ़र्द बरामदगी तैयार

करके उसे दिया गया था, जिस पर उसने हस्ताक्षर किए थे। हालाँकि, अपीलार्थी ने दावा किया कि उसे फ़र्द बरामदगी की विषय-वस्तु के बारे में पता नहीं था।

बचाव पक्ष के साक्षी

23. अपीलार्थी ने तीन साक्षियों की परीक्षा की। श्री दिनेश कुमार (ब.सा.-1) ने बयान दिया कि स्कूटर के लिए 5,000 रुपये के शेष प्रतिफल के बारे में अपीलार्थी और अभि.सा.-3 के बीच विवाद उसकी उपस्थिति में सुलझा लिया गया था। हालाँकि, अपनी प्रति-परीक्षा में, उसने कहा कि उसने स्कूटर के दस्तावेज, अर्थात् पंजीकरण प्रमाणपत्र ('आरसी'), बीमा आदि नहीं देखे, और अपीलार्थी ने आज तक उसे वे दस्तावेज़ नहीं दिखाए। ब.सा.-1 ने अपीलार्थी का दोस्त होने का दावा किया क्योंकि वह ग्रीन पार्क में उसी एमसीडी कार्यालय में कार्य करता था। उसने अपीलार्थी और अभि.सा.-3 के बीच स्कूटर के विक्रय से संबंधित कोई विक्रय पत्र या कोई लिखित/अनुबंध नहीं देखा था। उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि स्कूटर का वास्तविक मूल्य क्या थी और अपीलार्थी ने वह स्कूटर कब खरीदा था। स्कूटर उसकी उपस्थिति में नहीं बेचा गया था। ब.सा.-1 को वह तिथि, माह और वर्ष याद नहीं आ रहा था जिसमें अपीलार्थी ने उसे अभि.सा.-3 को स्कूटर बेचने के बारे में बताया था। ब.सा.-1 ने एमसीडी के किसी भी अधिकारी को अपीलार्थी द्वारा अभि.सा.-3 को स्कूटर बेचे जाने तथा धन के भुगतान और समझौते के विवाद के बारे में कुछ नहीं बताया था।

24. ब.सा.-2 जगत सिंह एक दूध आपूर्तिकर्ता था। वह अभि.सा.-3 की डेयरी से दूध एकत्र करता था और फिर ग्राहकों को दूध की आपूर्ति करता था। उसने पक्षकारगण के बीच हुए समझौते के बारे में भी जानने का दावा किया जिसके अंतर्गत अभि.सा.-3 अपीलार्थी को 2,500 रुपये का भुगतान करने के लिए सहमत हुआ। यह भुगतान उसकी उपस्थिति में नहीं किया गया था। हालाँकि, उसने कहा कि उसे मामले के तथ्यों की जानकारी नहीं है। स्कूटर उसकी उपस्थिति में नहीं बेचा गया था और उसने स्कूटर के विक्रय के संबंध में कोई विक्रय अनुबंध नहीं देखा था। ब.सा.-2 ने भी आज तक एमसीडी के किसी भी अधिकारी या सीबीआई के अधिकारियों को उपरोक्त तथ्यों के बारे में नहीं बताया है।

विचारण न्यायालय का निर्णय

25. साक्ष्यों का विश्लेषण करने के बाद विचारण न्यायालय ने सबसे पहले अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी (प्र.अभि.सा.-2/क) पर अभियोजना चलाने की मंज़ूरी का आदेश सुश्री रीना रे, सचिव (शिक्षा), दिल्ली सरकार (अभि.सा.-2) द्वारा वैध रूप से जारी किया गया था, जो प्रासंगिक समय पर अतिरिक्त आयुक्त, एमसीडी, टाउन हॉल, दिल्ली के रूप में काम कर रही थीं। यह अभिनिर्धारित किया गया कि उन्होंने मंजूरी देने से पहले अपने विवेक का उपयोग किया था।

26. 13 दिसंबर 2007 को दिए गए आक्षेपित निर्णय में विचारण न्यायालय ने उल्लेख किया कि मुख्य परीक्षा के एक महीने से अधिक समय बाद जब अभि.सा.-3 की प्रति-परीक्षा की गई तो वह अपने बयान से पलट गया, लेकिन उसने मुख्य परीक्षा के कुछ हिस्सों में अभियोजन पक्ष के मामले का पूरा समर्थन किया था और सीबीआई के विद्वान वरिष्ठ लोक अभियोजन ('वरि.लो.अभि.') द्वारा की गई प्रति-परीक्षा में कुछ बिंदुओं पर भी उसका समर्थन किया था। यह अभिनिर्धारित किया गया कि अभि.सा.-3 द्वारा दिए गए बयान को, जिस हद तक उसने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया था, अभिलेख से मिटाया नहीं जा सकता और उस पर भरोसा किया जा सकता है, यदि इसकी पुष्टि अभि.सा.-5 और अभि.सा.-6 द्वारा की गई थी, जैसा कि इस मामले में हुआ। चूँकि ट्रैप कार्यवाही के समय, अपीलार्थी ने ट्रैप लेइंग ऑफ़िसर अर्थात् जाल बिछाने वाले अधिकारी ('टीएलओ') को यह सूचित नहीं किया था कि उसने स्कूटर के विक्रय के शेष प्रतिफल के रूप में अभि.सा.-3 से 2,500 रुपये की राशि स्वीकार की थी, इसलिए उक्त बचाव को वास्तविक अभिनिर्धारित नहीं किया गया। यह भी नहीं दिखाया गया कि अभि.सा.-5, अभि.सा.-6, अभि.सा.-8 और अभि.सा.-9 की अपीलार्थी के प्रति कोई शत्रुता थी। तदनुसार, यह अभिनिर्धारित किया गया कि उपरोक्त साक्षी ने उचित संदेह से परे अभियोजन पक्ष के मामले का पूरी तरह से समर्थन किया था। विचारण न्यायालय ने शपथ-भंग करने के लिए दं.प्र.सं. की धारा 344 के अंतर्गत

अभि.सा.-3 को नोटिस जारी किया। 14 दिसंबर 2007 को दंड के अलग आदेश द्वारा, विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को पूर्व उल्लिखित ढंग से दंड सुनाया।

अधिवक्तागण की प्रस्तुतियाँ

27. इस न्यायालय ने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री सौरभ कृपाल और श्री भारत भूषण भाटिया तथा सीबीआई के विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री मनोज ओहरी की प्रस्तुतियाँ सुनीं।

28. श्री किरपाल ने सबसे पहले यह प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी द्वारा रिश्वत की माँग को साबित करने के लिए कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है, विशेषतः तब जब अभि.सा.-3 अपने बयान से पलट गया हो। रिश्वत की माँग के संबंध में, यह बताया गया कि डिजिटल टेप रिकॉर्डर पर कथित रूप से रिकॉर्ड की गई बातचीत विधि के अनुसार साबित नहीं की जा सकती। इसके अतिरिक्त, अभि.सा.-9 द्वारा एक झूठा बयान दिया गया कि ट्रैप कार्यवाही के तुरंत बाद जब उसने रिकॉर्डिंग बजाई तो बातचीत सुनाई दे रही थी, जबकि सीएफएसएल रिपोर्ट ने इसके विपरीत संकेत दिया। रिश्वत की माँग को साबित करने के लिए सबसे अच्छा साक्ष्य वास्तव में पेश नहीं किया गया। यह भी प्रस्तुति दी गई कि अभि.सा.-5, अभि.सा.--6, अभि.सा.--9 द्वारा घटनाओं के विवरण में कई विरोधाभास थे और इसने ही उनके साक्ष्य को अविश्वसनीय बना दिया। ***बनारसी दास बनाम हरियाणा राज्य एआईआर 2010 एससी 1589*** और ***राम किशोर***

बनाम राज्य 31 (1987) डीएलटी 312 के निर्णयों पर भरोसा करते हुए यह प्रस्तुत किया गया कि यदि अपीलार्थी द्वारा रिश्वत की माँग और स्वीकृति का मूल तत्व अभियोजन पक्ष द्वारा साबित नहीं किया गया तो धारा 20 पीसी अधिनियम के अंतर्गत कोई अनुमान नहीं लगाया जाएगा। आपराधिक अपील सं. 151/2008 ***(कांति प्रसाद त्यागी बनाम दिल्ली राज्य)*** में इस न्यायालय के 3 मार्च 2014 के निर्णय पर भरोसा किया गया।

29. इसके बाद श्री किरपाल ने प्रस्तुत किया कि विचारण न्यायालय ने ब.सा.-1 और ब.सा.-2 के साक्ष्य को केवल इस आधार पर खारिज करके त्रुटि की कि वे अपीलार्थी के मित्र और परिचित हैं। प्रस्तुत किया गया कि स्कूटर को 20,000 रुपये में बेचने से जुड़े किसी भी लेन-देन में, बेचने के लिए किसी लिखित अनुबंध की उम्मीद करना अवास्तविक था। अपीलार्थी ने इस बात का वैध स्पष्टीकरण दिया था कि अपीलार्थी ने आरसी क्यों नहीं छोड़ा। हालाँकि, अपनी प्रति-परीक्षा में अभि.सा.-3 ने कहा कि आरसी उसके कब्ज़े में थी और वह उसे पेश कर सकता है। इन परिस्थितियों में, अभियोजन पक्ष को यह साबित करना था कि ऐसा कोई विक्रय नहीं हुआ था। यह भी प्रस्तुत किया गया कि संभावनाओं की अधिकता के आधार पर, अपीलार्थी पीसी अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत अनुमान को खारिज करने में सक्षम था और उसने अभियोजन पक्ष के मामले के बारे में उचित संदेह पैदा किया था। इसलिए,

अपीलार्थी को पीसी अधिनियम की धारा 7 और धारा 13 (1) (घ) के साथ पठित धारा 13 (2) के अंतर्गत अपराधों का दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

30. उपरोक्त प्रस्तुति का विरोध करते हुए, विद्वान वि.लो.अभि. श्री मनोज ओहरी ने साक्षियों की गवाही के माध्यम से न्यायालय को प्रस्तुत किया कि इस तथ्य के बावजूद कि अभि.सा.-3 ने अपना बयान बदल लिया, छाया (शैडो) साक्षी (अभि.सा.-6), बरामदगी साक्षी (अभि.सा.-5) और अभि.सा.8 और 9 का साक्ष्य स्पष्ट और ठोस था और यह अपीलार्थी के अपराध को उचित संदेह से परे साबित करने के लिए पर्याप्त था। यह बताया गया कि अपीलार्थी द्वारा अभि.सा.-3 को कथित रूप से बेचे गए स्कूटर के शेष विक्रय प्रतिफल के रूप में 2,500 रुपये की राशि स्वीकार किए जाने की कहानी स्पष्ट रूप से एक बाद में सोचकर गढ़ी गई थी और अपीलार्थी द्वारा संभावनाओं की अधिकता पर भी इसे साबित नहीं किया गया था।

अभि.सा.-3 का साक्ष्य

31. सबसे पहले यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि अभि.सा.-3 ने 15 सितंबर 2005 को अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन पक्ष के मामले का पूरी तरह से समर्थन किया। विद्वान वि.लो.अभि. द्वारा उससे आगे की पूछताछ केवल पिछले बयान (प्र.अभि.सा.-3/घ) में दर्ज कुछ कथनों को स्पष्ट करने के लिए की गई थी। विशेष रूप से उसने बयान दिया कि:

> "यह भी सही है कि मैंने सीबीआई के सामने बयान दिया था कि जब बाबू राम मुझसे पैसे माँग रहा था, तो उसने मुझसे कहा था कि पैसे के लिए उस पर ऊपर से दबाव है।"

32. अपने मुख्य परीक्षण में, अभि.सा.-3 ने अपीलार्थी द्वारा रिश्वत की राशि की माँग और स्वीकृति के तथ्य की पुष्टि की और इस तथ्य की भी पुष्टि की कि अपीलार्थी ने रिश्वत की राशि स्वीकार करने के बाद उसे अपनी पैंट की दाहिनी जेब में रख लिया था। हालाँकि, जब एक महीने बाद 20 अक्टूबर 2005 को उसकी प्रति-परीक्षा की गई, तो अभि.सा.-3 ने अपने मुख्य परीक्षण में जो कहा था, उससे पलट गया। अभि.सा.-3 ने अब कहा कि उसने अपीलार्थी से 20,000 रुपये में एक स्कूटर खरीदा था और उसे अपीलार्थी को 5,000 रुपये की शेष विक्रय राशि देनी थी। उसने ब.सा.-1 और ब.सा.-2 का नाम लिया, जो उस समय उपस्थित थे जब अपीलार्थी और अभि.सा.-3 के बीच विवाद का कथित तौर पर निपटारा किया गया था। उसने कहा कि समझौते के अनुसार उसे एमसीडी के ग्रीन पार्क कार्यालय में अपीलार्थी को 2,500 रुपये देने थे। उसने अपने इस कदम के लिए निम्नलिखित स्पष्टीकरण दिया:

> "अभियुक्त मेरे पशु पकड़ने आया था, तभी उससे झगड़ा हुआ और तब मैंने सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई। जाल बिछाने के दौरान मेरे द्वारा दी गई राशि स्कूटर का शेष बकाया था, लेकिन दुर्भावना के कारण मैंने यह राशि सीबीआई दल के साथ उसके कार्यालय में जाकर रिश्वत की राशि बताकर दे दी। मैंने सीबीआई कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई, क्योंकि

> अभियुक्त मुझे परेशान कर रहा था। मैं सीबीआई के साथ अभियुक्त के कार्यालय केवल एक बार गया था। इस मामले की कार्यवाही ग्रीन पार्क में डॉ. प्रदीप के कार्यालय में हुई थी। उस समय मैं उस कमरे से 20 गज की दूरी पर एक कार में बैठा था। बाद में मुझे कमरे के अंदर बुलाकर मेरे हस्ताक्षर लिए गए। कार्यवाही मेरी उपस्थिति में नहीं की गई। इस शिकायत प्र.अभि.सा.3/क से पहले, मैंने किसी भी अधिकारी के समक्ष अभियुक्त के विरुद्ध कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। यह सही है कि मैंने इस मामले में अभियुक्त को मिथ्या रूप से फँसाया है।"

33. उस स्तर पर, विद्वान वि.लो.अभि. ने अभि.सा.-3 की प्रति-परीक्षा की, जिसमें उसने निम्नलिखित बातें स्वीकार कीं:

> "यह सही है कि मैंने अभियुक्त से मेरे द्वारा दो पहिया स्कूटर खरीदे जाने या शेष भुगतान के बारे में किसी विवाद और अभियुक्त द्वारा आरसी न सौंपे जाने के तथ्य का प्रकटीकरण नहीं किया।"

34. हालाँकि अभि.सा.-3 ने निम्नलिखित बातें स्वीकार कीं:

> "यह सही है कि अभियुक्त ने कई बार मेरे पशुओं को पकड़ा था और यही कारण था कि मैंने अभियुक्त के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई थी क्योंकि वह मेरे पशुओं को न पकड़ने के लिए मुझसे रिश्वत माँग रहा था। यह सही है कि अभियुक्त को मेरी शिकायत के आधार पर छापे के दिन ही पकड़ लिया गया था। यह सही है कि मेरी उपस्थिति में ही अभियुक्त के हाथ धोए गए थे। यह सही है कि मैंने अभियुक्त को पाउडर

> लगे जीसी नोट दिए थे ताकि वह भविष्य में मेरे पशुओं को न पकड़े। यह कहना गलत है कि मैंने अभियुक्त के साथ स्कूटर के सौदे के बारे में विद्वान बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा प्रति-परीक्षा के दौरान गलत बयान दिया था। पिछली तिथि अर्थात् 15 सितंबर 2005 को न्यायालय में मेरा बयान मेरे द्वारा सही तरीके से दिया गया था।"

35. फिर भी अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभि.सा.-3 की प्रति-परीक्षा की गई। अभि.सा.-3 ने बयान दिया कि "अब आरसी मेरे पास है लेकिन विक्रय पत्र मुझे आज तक नहीं दिया गया है।"

36. इसी तरह की परिस्थितियों में, ***खुज्जी बनाम मध्य प्रदेश राज्य एआईआर 1991 एससी 1853*** में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जहाँ एक महीने के अंतराल के बाद परिवादी अपने पिछले बयान से मुकर जाता है, तो न्यायालय के लिए यह अनिर्णीत होगा कि वह उसकी प्रति-परीक्षा में दिए गए विपरीत बयान को खारिज कर दे और उसके मुख्य परीक्षा में दिए गए बयान पर भरोसा करना जारी रखे, यदि वह भरोसेमंद और स्वीकार्य पाया जाता है। ***याकूब इस्माइल भाई पटेल बनाम गुजरात राज्य 2004 आप. एलजे 4205*** और ***सोहन लाल बनाम पंजाब राज्य 2004 एससीसी (आप.) 226*** में उच्चतम न्यायालय ने इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया था।

37. वर्तमान मामले में, न्यायालय को पता चलता है कि इस बात के बावजूद कि अभि.सा.-3 अपने मुख्य परीक्षण में अपने पहले के बयान से मुकर गया, उसने स्वीकार किया कि अपीलार्थी के लिए एक जाल बिछाया गया था और उसके दाहिने हाथ और पैंट की दाहिनी तरफ़ की जेब गुलाबी हो जाने के कारण उसे गिरफ़्तार किया गया था। अभि.सा.-3 ने पहले अवसर पर अर्थात् अपनी गिरफ़्तारी के तुरंत बाद यह नहीं बताया कि उसने स्कूटर के विक्रय के लिए शेष राशि के रूप में 2,500 रुपये की राशि स्वीकार की थी। दं.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत अपने बयान में, उसने स्वीकार किया कि अभि.सा.-9 द्वारा सामना किए जाने पर वह उलझन में पड़ गया था। उसने दावा किया कि उसे मिथ्या ढंग फँसाया गया है। जब अभि.सा.-9 ने अपीलार्थी से अभि.सा.-3 से 2,500 रुपये की रिश्वत लेने के बारे में पूछा, तो वह चुप रहा। अतः, स्पष्ट रूप से, अपीलार्थी के बचाव का वह हिस्सा बाद में सोचकर गढ़ा गया लगता है।

38. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ***बनारसी दास बनाम हरियाणा राज्य*** के निर्णय पर भरोसा करना गलत है। उस मामले में न केवल परिवादी बल्कि छाया (शैडो) साक्षी भी मुकर गया। यह निर्णय के पैरा 16 में दी गई टिप्पणियों से स्पष्ट है जो निम्नानुसार है:

> "दो पक्षद्रोही साक्षियों अभि.सा.-2 और अभि.सा.-4 के बयान के आलोक में, खसरा गिरदावरी को उसकी माँ के नाम पर दर्ज करके अभि.सा.-2 के पक्ष में करने के लिए अभियुक्त द्वारा

> कथित रूप से अवैध रिश्वत की माँग और स्वीकृति को अभियोजन पक्ष द्वारा विधि के अनुसार साबित नहीं किया जा सकता है। हम यह स्पष्ट करते हैं कि केवल दो साक्षियों के पक्षद्रोही होने और टकराव के बावजूद भा.दं.सं. की धारा 161 के अंतर्गत दिए गए अपने बयान से इनकार करने के कारण ही अभियुक्त तकनीकी आधार पर बरी होने का हकदार हो सकता है। लेकिन, हम किसी भी तरह से यह राय व्यक्त नहीं करते हैं कि सरकारी साक्षियों अभि.सा.-10 और अभि.सा.-11 सहित साक्षियों के बयान को न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। इसी तरह, हमारे पास प्र.अभि.घ. के माध्यम से प्र.अभि.-1 से अभि.-4 की बरामदगी पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।"

39. वर्तमान मामले में, केवल सरकारी साक्षियों, अर्थात् अभि.सा.-8 और अभि.सा.-9 ने ही अभियोजन पक्ष के मामले का पूरा समर्थन नहीं किया, बल्कि छाया (शैडो) साक्षी (अभि.सा.-6) और बरामदगी साक्षी (अभि.सा.-5) ने भी इसका समर्थन किया। यह वास्तव में महत्वपूर्ण है कि न तो अभि.सा.-5 और न ही अभि.सा.-6 ने पुलिस को दिए अपने बयान से मुकरे हैं। परिणामस्वरूप, अभि.सा.-3 के साक्ष्य के अंशों पर भरोसा किया जा सकता है, जिस हद तक वे अभियोजन पक्ष का समर्थन करते हैं और अभि.सा. 5, 6, 8 और 9 द्वारा पुष्टि की गई है।

टेप में रिकॉर्ड की गई बातचीत

40. अभि.सा.-5 और अभि.सा.-6 दोनों की गवाही को देखने से पता चलता है कि दोनों ने इस बात से इनकार किया है कि बातचीत सुनाई दे रही थी। गौरतलब है कि दोनों ने अपीलार्थी द्वारा अभि.सा.-3 से अपने हाथों के इशारे से पैसे माँगने की बात कही थी। यह तथ्य कि टेप में दर्ज बातचीत साबित नहीं हो सकी, किसी भी तरह से रिश्वत की माँग के संबंध में अभि.सा.-5 और अभि.सा.-6 की गवाही की ताकत को कम नहीं करता है।

41. अभि.सा.-9 के अनुसार यह सच है कि जब ट्रैप कार्यवाही के तुरंत बाद टेप चलाया गया, तो यह सुनाई दे रहा था। यह याद रखना चाहिए कि फ़र्द बरामदगी में उल्लेख किया गया था कि टेप में दर्ज बातचीत को फिर माइक्रो ऑडियो कैसेट में अंतरित कर दिया गया था। यह संभव है कि उस प्रक्रिया में टेप दूषित हो गए थे और इसलिए, सीएफ़एसएल में चलाए जाने पर वे सुनाई नहीं दे रहे थे। किसी भी स्थिति में, चूँकि अभियोजन पक्ष ने टेप में दर्ज बातचीत पर भरोसा नहीं किया था, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि टेप में दर्ज बातचीत को साबित करने में विफलता ने अभियोजन पक्ष के मामले को कमज़ोर कर दिया।

रिश्वत स्वीकार करना

42. अपीलार्थी ने हाथ और पैंट धोने के बाद गुलाबी रंग होने के तथ्य से इनकार नहीं किया है। किसी भी मामले में फ़ोरेंसिक साक्ष्य ने अभि.सा.5 और

6 की आँखों से देखे गए परिसाक्ष्यों की पूरी तरह से पुष्टि की है, जो अपीलार्थी द्वारा रिश्वत की राशि की माँग और स्वीकृति के बारे में अपने बयानों में सुसंगत रहे हैं। उनके साक्ष्य अभि.सा.-8 और अभि.सा.-9 के साक्ष्य से पूरी तरह से पुष्ट होते हैं।

43. जहाँ तक राम किशोर बनाम राज्य में इस न्यायालय के निर्णय का प्रश्न है, उसमें निर्धारित प्रस्ताव अपवाद रहित है। जबकि अपीलार्थी को अपने बचाव को उचित संदेह से परे साबित करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी उसे एक ऐसा बचाव पेश करना पड़ा जो संभावित है। वर्तमान मामले में, अपीलार्थी द्वारा पेश किया गया बचाव उसके द्वारा संभावनाओं की अधिकता पर भी साबित नहीं किया गया है। अपीलार्थी द्वारा अभि.सा.-3 को स्कूटर बेचने की पूरी कहानी और यह कि उसने 10 दिसंबर 2004 को एमसीडी कार्यालय में शेष विक्रय प्रतिफल के रूप में अपीलार्थी को 2,500 रुपये का भुगतान किया, स्पष्ट रूप से एक बाद में सोचकर गढ़ा गया विचार था।

44. ब.सा.-1 के साक्ष्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता। एक व्यक्ति के लिए, जिसे स्कूटर के विक्रय के बारे में अभि.सा.-3 और अपीलार्थी के बीच समझौता कराने के लिए मध्यस्थता करनी चाहिए, वह विक्रय लेनदेन से संबंधित विवरणों के बारे में नहीं जानता है। चूँकि यह उसका बचाव था कि स्कूटर का विक्रय हुआ था, इसलिए अपीलार्थी पर यह दायित्व था कि वह

न्यायालय के समक्ष अपने पास मौजूद दस्तावेज़ों को प्रस्तुत करके उस बचाव को सही साबित करे, जिससे यह साबित हो सके कि स्कूटर मूल रूप से अपीलार्थी का था और बाद में अभि.सा.-3 को बेच दिया गया था। यह अपीलार्थी के अनन्य ज्ञान में था और इस तथ्य को साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर नहीं डाला जा सकता था।

45. ***कांति प्रसाद त्यागी बनाम दिल्ली राज्य*** मामले के तथ्य वर्तमान मामले के तथ्यों से बिल्कुल भिन्न थे। इसलिए यह निर्णय अपीलार्थी के लिए सहायक नहीं है।

46. वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष ने ठोस साक्ष्यों के साथ अपीलार्थी द्वारा रिश्वत की माँग और स्वीकार करने को सभी उचित संदेहों से परे साबित कर दिया है। यह न्यायालय पीसी अधिनियम की धारा 7 और धारा 13 (2) के साथ पठित धारा 13 (1) (घ) के अंतर्गत अपीलार्थी को दोषी ठहराने वाले विचारण न्यायालय के आदेश में कोई विधिक दोष नहीं पा सका।

दंड

47. दंड के प्रश्न पर, यह बयान दिया गया कि चूँकि अपीलार्थी 62 वर्ष का है, तथा नौ वर्षों से अधिक समय से विचारण की यातना झेल रहा है, इसलिए उसके प्रति नरम रुख अपनाया जाए।

48. न्यायालय ने पाया कि धारा 7 के अंतर्गत अपराध के लिए अपीलार्थी को एक वर्ष का कठिन कारावास तथा जुर्माना लगाया गया है, तथा पीसी अधिनियम की धारा 13 (2) के साथ पठित धारा 13 (1) (घ) के अंतर्गत अपराध के लिए दो वर्ष का कठिन कारावास तथा जुर्माना लगाया गया है। मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों के अनुसार उक्त दंड को अनुपातहीन नहीं कहा जा सकता।

निष्कर्ष

49. तदनुसार अपील खारिज की जाती है। जमानत बंधपत्र रद्द किए जाते हैं। अपीलार्थी को शेष दंड काटने के लिए तुरंत अभिरक्षा में ले लिया जाएगा।

50. विचारण न्यायालय का अभिलेख तुरंत वापस भेजा जाए। कोर्ट मास्टर द्वारा हस्ताक्षरित इस आदेश की एक प्रति हाथों से दी जाए।

हस्ताक्षरित/-

न्या. एस. मुरलीधर

2 मई, 2014

आरके

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*